15

संख्या 41019/18/97-स्थापना-(ख)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून, 2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, अन्य भर्ती अभिकरणों तथा मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा किए जाने वाले चयन के आधार पर तैयार किए गए रिजर्व पैनलों का संचालन - पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के संबंध में ।

दिनांक 20.11.85 का कार्यालय ज्ञापन सं0 39021/18/84-स्था.(ख)

दिनांक 14.5.87 का कार्यालय ज्ञापन सं0 39021/18/84-स्था-(ख)

दिनांक 18.1.90 का कार्यालय ज्ञापन सं0 39036/6/88-स्था-(ख)

अधोहस्ताक्षरी को हाशिए में उद्धृत इस विभाग के कार्यालय ज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उन कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार यह सूचित किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग, जब भी संभव हो सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण और स्थानांतरण आधार पर नियुक्ति हेतु किए गए चयन के आधार पर उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करता है और इस रिजर्व पैनल का संचालन संघ लोक सेवा आयोग, संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्राप्त अनुरोध पर तब करता है जब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत उम्मीदवार या तो पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता जिससे पद रिक्त रह जाता है अथवा कार्यभार ग्रहण करके किन्तु कार्यभार ग्रहण करने के छह माह के भीतर सेवा से त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है । मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी गई थी कि जब कभी ऐसी आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न हो तो उन्हें सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग से रिजर्व पैनल से उम्मीदवार का नामांकन करने की सिफारिश करनी चाहिए यदि कोई ऐसा पैनल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रखा गया है । संघ लोक सेवा आयोग से जवाब प्राप्त होने पर ही भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण समझा जाएगा और इस प्रकार संबंधित मंत्रालय/विभाग रिक्ति को भरने के लिए किसी वैकल्पिक पद्धति का सहारा ले सकते हैं ।

2. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 17.11 में यह सिफारिश की थी कि पदों को भरने में होने वाले विलंब को कम करने की दृष्टि से नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर पदधारी द्वारा त्याग पत्र दिए जाने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर होने वाली रिक्तियां, उस समय तक नया पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिजर्व पैनल के उम्मीदवार से तत्काल भरी जानी चाहिए । ऐसी रिक्ति को नई रिक्ति नहीं माना जाना चाहिए । इस सिफारिश

15

के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जांच-पड़ताल की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि जहां, चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, वहां भविष्य में निर्धारित अवधि के भीतर उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने अथवा उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने, लेकिन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसके द्वारा सेवा से त्याग पत्र देने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर उत्पन्न होने वाली रिक्ति की स्थिति में यदि उस समय तक कोई नया पैनल उपलब्ध नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग को रिजर्व लिस्ट, यदि कोई है, में से नामांकन किए जाने का अनुरोध किया जाए । ऐसी रिक्ति को नई रिक्ति नहीं माना जाएगा ।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां केन्द्र सरकार के अधीन पदों हेतु चयन कर्मचारी चयन आयोग जैसे अन्य भर्ती अभिकरणों या मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे किया जाता है, और इसी प्रकार से रिजर्व पैनल तैयार किए जाते हैं, उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए रिजर्व पैनल के संचालन की प्रक्रिया अन्य भर्ती अभिकरणों/प्राधिकरणों द्वारा तैयार किए गए रिजर्व पैनलों पर भी लागू होगी ।

हरिन्द्र सिंह

(हरिन्द्र सिंह)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग

1. संघ लोक सेवा आयोग
2. कर्मचारी चयन आयोग
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।